संख्या-38/2020/777/71-2-20-के0जी0एम0यू0-17/2013

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में के0जी0एम0यू0 के खदरा एवं आई0डी0एच0 परिसर में निर्माणाधीन ट्रांजिट नर्सेज हॉस्टल निर्माण प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक-37/2020/336/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-17/2013, दिनांक 26 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0 के खदरा एवं आई0डी0एच0 परिसर में ट्रांजिट नर्सेज हॉस्टल निर्माण प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 12760.72 लाख (रूपये एक अरब सत्ताईस करोड साठ लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- शासनादेश संख्या-4667/71-2-2013-के0जी0एम0यू0-17/2013, दिनांक 25 नवम्बर, 2013 द्वारा के0जी0एम0यू0 के खदरा एवं आई0डी0एच0 परिसर में ट्रांजिट नर्सेज हॉस्टल निर्माण प्रायोजना की मूल लागत रू0 8622.42 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक धनराशि रू0 6874.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में के0जी0एम0यू0 के खदरा एवं आई0डी0एच0 परिसर में ट्रांजिट नर्सेज हॉस्टल निर्माण प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 12760.72 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-31 से रू0 2070.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 430.00 लाख अर्थात कुल रू0 2500.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1) अवमुक्त धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग खदरा परिसर में निर्माणाधीन ट्रांजिट नर्सेज हॉस्टल भवन पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
2) विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
3) पुनरीक्षण के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2019 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लेकेसी) रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना/कार्यक्रम में न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी।
5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

7) प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट, ट्रांसफार्मर एवं लिफट की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशीफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायगा।

8) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का यह दायित्व होगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अंतिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है, तथा उक्त पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

9) पुनरीक्षित प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिसमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का प्रयोग इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त प्रायोजना के संबंध में समस्त सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।

12) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को प्रभाग द्वारा प्रायोजना की ऑकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को ऑकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था का होगा।

13) प्रायोजनान्तगर्त प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विश्वविद्यालय का होगा।

14) पुनरीक्षित लागत के संबंध में पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।

15) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

16) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज देय होगा।

17) प्रश्नगत प्रायोजना यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिये जायेंगे।

18) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

19) प्रायोजना में प्रस्तावित फर्नीचर हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से उपलब्ध कराये जायेंगे।

20) थर्ड पार्टी क्वालिटी आडिट/इनस्पेक्शन पर वहन की जाने वाली धनराशि के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

21) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 2070.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 430.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-38/2020/777(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in